

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-01 / अ0प्र0-01-22 / 2024

112

/पटना दिनांक 23.2.25

श्री दीपक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता-2, गया का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के मोटरसाईकिल दुर्घटना के कारण दिनांक-14.10.2024 से 10.11.2024 तक कुल 28 (अठ्ठाईस) दिनों का अदेय अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम-235 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

Kumar

27/2/25
(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-22 / 2024

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार-गया, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar

27/2/25

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-22 / 2024

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, गया/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री दीपक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar

27/2/25

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक 28.2.25

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-22 / 2024 2391

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar

27/2/25

सरकार के अवर सचिव

AS